



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236974  
CG-DL-E-01072022-236974

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]  
No. 471]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/ आषाढ़ 10, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
शुद्धि पत्र  
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022  
(आयकर)

सा.का.नि. 505(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक 73/2022, तारीख 30 जून, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 482 (अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गयी थी, के

(i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 7-9 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित करे:-

“(4ड) उपनियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्र, प्ररूप संख्या 26थच में त्रैमासिक विवरण तैयार करते समय वह राशि जिस पर धारा 194ध की उपधारा (6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी, की विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा।”

(ii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित करे:-

“में ..... के..... की क्षमता में यह सत्यापित करता हूं की उपरोक्त दी गई सूचना सही और पूर्ण हैं।”

[अधिसूचना सं. 77/2022/फा. सं. 370142/29/2022-टीपीएल (भाग-1)]

अंकित जैन, अवर सचिव